न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

प्रार्थना –पत्र नम्बर 76/2025
भगवान हरजिन्द्र कौर वगैरा बनाम दलबारा सिह वगैरा
प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए

1. हरविन्द्र कौर पत्नी गुरजन्ट सिह पुत्र बसन्त सिह जाति जटसिख निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीया

बनाम

1. दलबारा सिह पुत्र बसन्त सिह जाति जटसिख साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया।
2. अमरप्रीत सिह पुत्र मलकीत सिह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया।
3. गुरचरण सिह उर्फ लीलासिह पुत्र माला सिह जाति जटसिख सा.संतपुरा तहसील संगरिया।
4. गुरप्रीत सिह पुत्र मलकीत सिह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया।
5. गुरमीत कौर पत्नी मलकीत सिह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया।
6. छिन्द्रपाल कौर पुत्री भोला सिह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया।
7. मनप्रीत कौर पुत्री मलकीत सिह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया।
8. रमनदीप सिह दलबारा सिह पुत्र बसन्त सिह जाति जटसिख सा.दीनगढ़ तहसील संगरिया
9. सरजीत कौर पत्नी भोलासिह जाति जटसिख साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया।
10. हरप्रीत कौर पुत्री मलकीत सिह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया।
11. तहसीलदार, राजस्व संगरिया।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री कुलदीप संरा – अधिवक्ता प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

–:आदेश:– दिनांक :– 31.10.2025

अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के क्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है अप्रार्थी ख्या 1, प्रार्थीया का जेठ लगता है जिनके नाम से तहसील संगरिया के चक 6 ए.एम.पी.जमाबन्दी 2071–74 के सांझा खाता संख्या 118/10 में ब.हि.ब.कुल 2.277 हैक्ट.नहरी मय गै.मुं. कृषि मि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीया काश्त की सुविधानुसार व अच्छी मन्दी हिसाब से पूर्व में हुये भाजन अनुसार अपनी कृषि भूमि पर काबिज चली आ रही है जिसमें प्रार्थीया मौका पर प.न. 8/141 मु.न. 3 के कि.न. 12,18 व 25/1/215 है.में से 25/1/0.126 हैक्ट.कृषि भूमि पर ब्जाकाश्त में है व अन्य चक 5 ए.एम.पी.में प.न. 169/141 मु.न. 5 के कि.न. 20,21,22,23 की षि भूमि कब्जाकाश्त में हैं जिसमें कब्जाकाश्त सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है लेकिन उक्त वर्णित षि भूमि सांझा खाता में दर्ज है जिसका आज तक विधिवत खाता विभाजन नहीं हुआ है प्रार्थीया उसके पति के पास इस कृषि भूमि के अलावा अन्य खातों में भी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जिसका आज तक विधिवत खाता विभाजन नहीं हुआ है जिससे प्रार्थीया को व उसके परिवार के

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सिंचाई व्यवस्था सींव बट आदि को लेकर विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है प्रार्थीया अपनी उक्त कृषि भूमि में व उसकी सिंचाई व्यवस्था में सुधार करने के लिये भुमिगत सिंचाई पाईप लाईन डलवाना चाहती है। अप्रार्थी सं 1 व उसका परिवार झगडालू व जिददी प्रवृति के व्यक्ति हैं जो अपने परिवार के सदस्यों से एकराय होकर प्रार्थीया को तंग परेशान करने की नियत से व प्रार्थीया के औरत जात होने व उक्त कृषि भूमि सांझा खाता में दर्ज होने के कारण आये दिन बिना किसी वजह से अपने निजी हितों व स्वार्थों की पूर्ति के लिए सींव बट व सिंचाई व्यवस्था आदि को लेकर प्रार्थीया व उसके परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा करने को उतारू रहते है तथा अक्सर इस बात की भी धमकीयां भी प्रार्थीया व उसके परिवार के सदस्यों को देते रहते है कि उक्त कृषि भूमि सांझा खाता में दर्ज है इसलियें सिंचाई हेतु पाईप लाईन नहीं डालने देगें अगर कोशिश की तो अजांम बुरे होंगें। उक्त कृषि भूमि साझां खाता में दर्ज होने के कारण प्रतिवादी सं 1 व उनका परिवार लालचवश अच्छी व सुविधाजनक कृषि भूमि को हड़पने के लिए लगातार प्रयासरत है। यदि अप्रार्थी अपने उक्त मनमाने व अविधिक आशय से उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीया द्वारा कोई भुमिगत सिंचाई पाईप लाईन डालने उससे कनैक्शन व सुधिजनक सिंचाई व्यवस्था करने से रोकने या किसी प्रकार से बाधा कारित करने में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीया अपने विधिक व सांम्पतिक अधिकारों से वंचित हो जायेगी तथा प्रार्थीया के हितों पर कुठाराघात होगा जबकि प्रार्थीया के भी उक्त सांझा खाता की कृषि भूमि में समान रूप से हक व हित निहित है। प्रार्थीया अपनी उक्त कृषि भूमि चक 6 ए.एम.पी.के सांझा खाता संख्या 118/10 में कुल 2.277 हैक्ट.कृषि भूमि के प.न. 168/141 मु.न. 3 में अपने कब्जा काश्त के कि.न. 21 ता 25 की दक्षिणी दिशा में व इससे आगे अपनी अन्य सांझा खाता की कुषि भूमि चक 5 ए.एम.पी.के खाता सं. 126/98 में अपने कब्जा काश्त की प.न. 169/141 मु.न. 5 के कि.न. 21,22,23 में सिंचाई हेतु भुमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहती है जब प्रार्थीया ने अन्य सहखातेदारों से इस बाबत बात की व उक्त कृषि भूमि से आगे अपनी अन्य कृषि भूमि तक पाईप लाईन डालनी शुरू की तो अप्रार्थी सं. 1 व उसका परिवार नहीं माने तथा सरेआम प्रार्थीया को धमकियां दी की वे किसी भी हालत में अब आगे प्रार्थीया को भुमिगत सिंचाई पाईप लाईन डालने नहीं देगें ऐसी परिस्थितियों में अगर अप्रार्थी सं. 1 अपने उक्त मनमाने व अविधिक आश्य में कामयाब हो जातें हे व किसी प्रकार से बाधा कारित करने में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीया के अधिकारों व हितों पर कुठाराघात होगा प्रार्थीया की जमीन बंजर हो जावेगी तथा प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई धनराशि के रूप में नहीं की जा सकती है। प्रार्थीया अपने विधिक व सांम्पतिक अधिकारों से वंचित हो जायेगी जिससे वाद बाहुल्यता भी बढेगी प्रार्थी की आय का एक मात्र साधन कृषि है। प्रार्थी अपने दूर के दूसरे खेत की सिंचाई हेतु इसी पाईप लाईन सुविधा पर निर्भर है तथा ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा, सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। अप्रार्थीगण से उक्त पाईप लाइन डलवाने बाबत सहमति व सहयोग देने की बात की तो अप्रार्थीगण ने सहमति देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया यही वाद कारण है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 10 को सहखातेदार होने व खेत में से पाईप लाईन जाने के कारण तथा अप्रार्थीसं. 11 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है जो कि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से स्वीकार किया जावे कि प्रार्थीया के नाम से दर्ज तहसील संगरिया के चक 6 ए.एम.पी.केसांझा खाता संख्या 118/10 में ब.हि.ब.1/2 हि.कुल 2.277 हैक्ट.कृषि भूमि के प.न. 168/141 मु.न. 3 के कि.न. 21 ता 25 की दक्षिणी दिशा में व इससे आगें चक 5 ए.एम.पी.के खाता सं. 126/98 में अपने कब्जा काश्त की प.न. 169/141 मु.न. 5 के कि.न. 21,22,23 के दक्षिणी दिशा में भुमि गत सिंचाई पाईप लाईन डालने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 बावजूद सूचना के उपस्थित नही आये। तहसीलदार संगरिया से मौका रिपोर्ट चाहे जाने पर उन्होने अपने पत्रांक 2060 दिनांक 17.10.2025 द्वारा अवगत करवाया है कि प्रार्थीया चक 6 एएमपी के प.न. 168/141 मु.न. 3 किला नम्बर 21 ता 25 की दक्षिणी सीमा एवं इसके आगे चक 5 एएमपी प.न. 169/141 मु.न. 5 किला नं. 21,22,23 के दक्षिणी सीमा में प्रस्तावित पाईप लाईन स्वीकृत करवाना व मौके पर उक्त रकबे में नरमा ग्वार की फसल काश्त होना एवं अन्य कोई निर्माण ादि नही होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

तहसीलदार राजस्व संगरिया के जवाब तथा पत्रावली में अन्य दस्तावेजात का भली–भाति अवलोकन किया गया। अत प्रार्थीया की मांग/सिचाई सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पाईप लाइन स्वीकृति जारी करने का आदेश निम्न शर्त पर पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है:–

- पाईप लाईन कम से कम 3 फीट गहरी जमीन के अन्दर होना आवश्यक है अन्य कृषकों को दुविधा नही हों।
- प्रार्थीया प्राकृतिक कारणों से हुई किसी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की मांग नही करेगी।
- शर्तो की उल्लघंन पर पाईप लाईन की स्वीकृति कभी भी निरस्त की जा सकेगी।
- प्रार्थीया द्वारा डाली गई पाईप लाईन लिकेज होने पर प्रार्थीया लिकेज पाईप को सही करने के लिए पाबन्द रहेगी।
- तहसीलदार संगरिया राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम (संशोधित) 2012 के अनुसरण में नियम 70(2)(b) के तहत प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त आराजी डीएलसी का 10 प्रतिशत अनुसार गणना करवाकर राशि राजकोष मे जमा करवाये।
- रास्ता/खाला को कोई नुकसान नही पहुचें तथा रास्ता में कभी भी आवागमन में बाधा नही हो और पाईप लाईन डालते/लिकेज सही करते समय किसी भी काश्तकार की फसल का या अन्य किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो।

आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251–ए आरटीए स्वीकार कर उक्त शर्तो की पालना के आधार पर प्रार्थीया को चक 6 एएमपी के प.न. 168/141 मु.न. 3 किला नम्बर 21 ता 25 की दक्षिणी सीमा एवं इसके आगे चक 5 एएमपी प.न. 169/141 मु.न. 5 किला नं. 21,22,23 के दक्षिणी सीमा में 3 फीट गहराई में सिंचाई के लिये पाईप लाईन डालने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। तथा संबंधित भूमि के समस्त काश्तकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीया की सिचाई सुविधा हेतु भूमिगत डाली गई सिंचाई पाईप लाईन मे किसी प्रकार की

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

ई बाधा/नुकसान कारित नही करेंगें। प्रश्नगत भूमि की लम्बाई X चौड़ाई के माप किये जाने पर राजकोष मे नियमानुसार राशि जमा होने के पश्चात् ही प्रश्नगत पाईप लाईन स्वीकृत शुमार समझी जावेगी। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास

उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

र्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है जो कि माननीय न्यायालय के ाधिकार व श्रवणाधिकार का है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से ीकार किया जावे कि प्रार्थीया के नाम से दर्ज तहसील संगरिया के चक 6 ए.एम.पी.केसांझा ाता संख्या 118/10 में ब.हि.ब.1/2 हि.कुल 2.277 हैक्ट.कृषि भूमि के प.न. 168/141 मु.न. 3 कि.न. 21 ता 25 की दक्षिणी दिशा में व इससे आगें चक 5 ए.एम.पी.के खाता सं. 126/98 में पने कब्जा काश्त की प.न. 169/141 मु.न. 5 के कि.न. 21,22,23 के दक्षिणी दिशा में भुमि गत सिंचाई पाईप लाईन डालने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 बावजूद सूचना के उपस्थित नही आये। तहसीलदार संगरिया से ोका रिपोर्ट चाहे जाने पर उन्होने अपने पत्रांक 2060 दिनांक 17.10.2025 द्वारा अवगत करवाया है क प्रार्थीया चक 6 एएमपी के प.न. 168/141 मु.न. 3 किला नम्बर 21 ता 25 की दक्षिणी सीमा एवं इसके आगे चक 5 एएमपी प.न. 169/141 मु.न. 5 किला नं. 21,22,23 के दक्षिणी सीमा में मिगत पाईप लाईन स्वीकृत करवाना व मौके पर उक्त रकबे में नरमा ग्वार की फसल काश्त ना एवं अन्य कोई निर्माण ादि नही होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

तहसीलदार राजस्व संगरिया के जवाब तथा पत्रावली में अन्य दस्तावेजात का भली–भाति लोकन किया गया। अत प्रार्थीया की मांग/सिचाई सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पाईप लाइन की कृति जारी करने का आदेश निम्न शर्त पर पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है:–

- पाईप लाईन कम से कम 3 फीट गहरी जमीन के अन्दर होना आवश्यक है अन्य कृषकों को दुविधा नही हों।
- प्रार्थीया प्राकृतिक कारणों से हुई किसी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की मांग नही करेगी।
- शर्तो की उल्लघंन पर पाईप लाईन की स्वीकृति कभी भी निरस्त की जा सकेगी।
- प्रार्थीया द्वारा डाली गई पाईप लाईन लिकेज होने पर प्रार्थीया लिकेज पाईप को सही करने के लिए पाबन्द रहेगी।
- तहसीलदार संगरिया राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम (संशोधित) 2012 के अनुसरण में नियम 70(2)(b) के तहत प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त आराजी डीएलसी का 10 प्रतिशत अनुसार गणना करवाकर राशि राजकोष मे जमा करवाये।
- रास्ता/खाला को कोई नुकसान नही पहुचें तथा रास्ता में कभी भी आवागमन में बाधा नही हो और पाईप लाईन डालते/लिकेज सही करते समय किसी भी काश्तकार की फसल का या अन्य किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो।

आदेश

अत: उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251–ए आरटीए स्वीकार कर उक्त र्तो की पालना के आधार पर प्रार्थीया को चक 6 एएमपी के प.न. 168/141 मु.न. 3 किला नम्बर 1 ता 25 की दक्षिणी सीमा एवं इसके आगे चक 5 एएमपी प.न. 169/141 मु.न. 5 किला नं. 1,22,23 के दक्षिणी सीमा में 3 फीट गहराई में सिंचाई के लिये पाईप लाईन डालने की स्वीकृति द्वारा प्रदान की जाती है। तथा संबंधित भूमि के समस्त काश्तकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीया की सिचाई सुविधा हेतु भूमिगत डाली गई सिंचाई पाईप लाईन मे किसी प्रकार की

खण्ड अधिकारी
संगरिया

ई बाधा/नुकसान कारित नही करेंगें। प्रश्नगत भूमि की लम्बाई X चौड़ाई के माप किये जाने
राजकोष मे नियमानुसार राशि जमा होने के पश्चात् ही प्रश्नगत पाईप लाईन स्वीकृत शुमार
होगी जावेगी। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से
न होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास

उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया